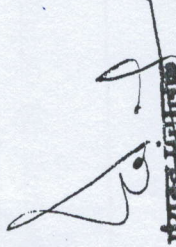


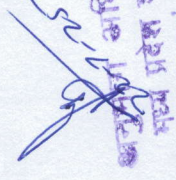
कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग शहडोल (म0प्र0)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1325, अंतरांकित - नगरीय क्षेत्र में जलकर का निर्धारण

परिशिष्ट - अ

क्र.	निकाय	जलकर की प्रतिमाह		दिन में		कितनी बार जलप्रदाय किया जा रहा है	
		आवासीय	व्यवसायिक	1 समय	2 समय	अन्य	(स्पष्ट करें)
1	2	3	4	5	6	7	
1	न.पा. अनूपपुर	100	300	1	-		स्थायी जल प्रदाय योजना लागू
2	न.पा. बिजुरी	निरंक	निरंक	1	-		निकाय क्षेत्र में 60 प्रतिशत आबादी क्षेत्र को SECL द्वारा डिवाटरिंग की जा रही पानी का सप्लाय किया जाता है तथा 20 प्रतिशत आबादी क्षेत्र में निकाय के स्वयं स्रोत नलकूप से व शेष 20 प्रतिशत आबादी क्षेत्र में हैण्डपम्प द्वारा पानी की पूर्ति की जाती है। पर्याप्त पानी कॉलरी प्रशासन से न मिलने के कारण सामान्य मौसम में 15 से 20 टैंकर व ग्रीष्मकालीन में 40 से 50 टैंकर द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है, इस कारण से वर्तमान में जलकर लागू नहीं है। भविष्य में स्थायी जलप्रदाय योजना को मूर्तरूप देने के लिये अमृत 2.0 अंतर्गत योजना तैयार करने हेतु निविदा व अन्य कार्यवाही की जा चुकी है, संविदाकार को कार्यदिश जारी किया जा चुका है।


 संयुक्त संचालक
 नगरीय प्रशासन एवं विकास
 शहडोल, संभाग-शहडोल (म.प्र.)


 सहायक यंत्री
 नगरीय प्रशासन एवं विकास
 म.प्र. भोपाल

दिन में कितनी बार जलप्रदाय किया जा रहा है					
क्र.	निकाय	जलकर की प्रतिमाह		दिन में	
		आवासीय	व्यवसायिक	1 समय	2 समय
					अन्य (स्पष्ट करें)
1	2	3	4	5	6
3	न.पा. पसान	50	100	1	—
4	न.पा. कोतमा	100	200	1	—
5	न0परि0 अमरकंटक	120	210	1	—
6	न0परि0 जैतहरी	35	100	—	2

वर्तमान में निकाय क्षेत्रान्तर्गत 60 प्रतिशत आबादी क्षेत्र SECL के द्वारा एवं 40 प्रतिशत आबादी क्षेत्र को स्वयं के स्रोत नलकूप से पानी का प्रदाय किया जाता है। निकाय क्षेत्र में वर्तमान में स्थाई जल प्रदाय योजना लागू नहीं है व स्थाई जलप्रदाय योजना तैयार करने का कार्य MPUDC द्वारा किया जा रहा है जिसमें 50 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है,

निकाय में स्थाई जलप्रदाय योजना लागू नहीं, वर्तमानव में निकाय क्षेत्र के 80 प्रतिशत आबादी क्षेत्र में स्वयं के स्रोत नलकूप से व 20 प्रतिशत अपग्रेड आबादी क्षेत्र में निकाय के सीपित हैण्डपम्प व टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, तथा नवीन जलप्रदाय योजना निर्माण हेतु अमृत 2.0 योजना के तहत तैयार की गई है, जिसमें ओवर हैण्ड टैंग पाईन लाईन विस्तार, इंटेकवेल, निर्माण के लिये संविदाकार को कार्यदिश जारी है, एनिकट निर्माण कार्य स्थल का एन.ओ.सी. वन विभाग से न मिलने के कारण उक्त कार्य प्रक्रियाधीन है।

नवीन जलप्रदाय योजना संचालित है, जिसका निर्माण MPUDC द्वारा करवाया गया है, हैण्डओवर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुमति अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. गोंपल

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
शहडोल, संभाग-शहडोल (म.प्र.)

